UPGZ010073742026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद।

उपस्थितिः श्री नीरज गौतम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.ID No-UP 6260

CNRNo: UPGZ010073732026

कम्प्यूटर नं0 3398/2026

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0- 287/2026

रिजवान पुत्र सलीम निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जिला बागपत ।

अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य

विपक्षी

मु0 अ 0 सं0 - 26/2025
धारा- 137(2),64(2)(f)बी एन एस
एवं धारा - 5(n)/6 पोक्सो एक्ट
थाना- निवाडी, गाजियाबाद

18.06.2026

प्रार्थी /अभियुक्त रिजवान की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0 - 26/2025 धारा- 137(2),64(2)(f)बी एन एस एवं धारा - 5(n)/6 पोक्सो एक्ट थाना- निवाडी, जनपद गाजियाबाद मामले में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पिता/पैरोकार सलीम द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

वादी मुकदमा, डी.एल.एस.ए., सी०डब्लू०सी० एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किये गये । वादी मुकदमा एवं डी०एल०एस०ए० के विद्वान अधिवक्ता नोटिस तामीला के उपरान्त उपस्थित नहीं आये ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सी०डब्लू०सी० एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) तथा को सुना गया ।

Digitally signed by NIRAJ GAUTAM
Date: 2026.06.19 04:26:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाना पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह भटटे पर काम करता है उसके साथ ही उसका जीजा रिजवान काम करता था । मेरी पुत्री आयु करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। यह घटना दिनांक 22.02.2025 की रात्रि 8 बजे की है। मैने अपनी पुत्री को काफी तलाश किया लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया । रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को किसी ने पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाते हुए नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू 1 लगायत पी०डब्लू 4 ने न्यायालय में अंकित साक्ष्य में अभिकथित घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 25.06.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्त का न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोडकर भागने एवं गवाहान सबूत को तोडने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

सी०डब्लू०सी० एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्व है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करना बताया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार पीडिता की आयु लगभग 18 वर्ष बतायी गयी है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी एन एस एस में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2025 को शाम 7–8 बजे उसका फूफा रिजवान उसे बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली लेकर गया, जहां से हम दोनों बस्तरा गांव करनाल के पास एक भटटे पर काम करने चले गये। वहां हम दोनों करीब एक माह काम किया। हम दोनों वहां पर

पति पत्नी के रूप मे रहते थे। जहां पर रिजवान ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये । पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी एन एस एस में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2025 को उसका फूफा रिजवान करीब 7–8 बजे उसे बहला फुसलाकर ले गया ..... मेरे फूफा रिजवान ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाये । इस प्रकार पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी एन एस एस एवं धारा 183 बी एन एस एस में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन किया है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं पीडिता द्वारा न्यायालय में अंकित साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में अंकित वादी एवं पीडिता का साक्ष्य विचारण का विषय है वर्तमान समय में पत्रावली में विचारण की कार्यवाही अग्रसारित हो रही है। अभियोजन का शेष साक्ष्य अभी अभिलिखित होना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 161/2025 दिनांक 22.08.2025 को गुण दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कोई नया आधार दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को जमानत प्रदान करने से उसके द्वारा गवाहान को धमकाने तथा प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, उसकी गम्भीरता, अपराध के लिये निर्धारित दण्ड तथा अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रिजवान का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0 – 26/2025 धारा– 137(2),64(2)(f) बी एन एस एवं धारा – 5(n)/6 पोक्सो एक्ट थाना– निवाडी, जनपद गाजियाबाद निरस्त किया जाता है ।

(नीरज गौतम)

18.06.2026

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद